भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

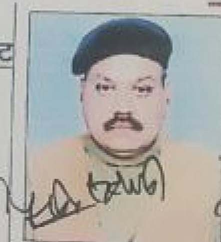

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

- मूल्यांकन– 8,44,62,000/–
- मौजा– बस्ती खास
- क्षेत्रफल 4022 वर्ग मीटर
- स्टैम्प 5912500/–

हम कि कुँवर कामेश्वर सिंह पुत्र राजा लाल ओकार सिंह निवासी राज भवन बस्ती खास के हैं, (जिन्हें की इस विलेख में आगे भू–स्वामी/प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो भूस्वामी स्वयं, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावेगा)। .... प्रथम पक्ष

तथा

सुपरलेटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9/12, लाल बाजार स्ट्रीट, मर्केन्टाइल बिल्डिंग, ब्लॉक "ए", तृतीय तल, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) द्वारा निदेशक पवन कुमार सिंघानिया पुत्र दिनेश सिंघानिया निवासी पार्क रोड , शहर व जिला– गोरखपुर के हैं,, (जिन्हें कि इस विलेख में आगे बिल्डर/द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो बिल्डर स्वयं

Kameshwar Singh

ख 3/10/16 सुपर लौरिक मार्केटिंग प्रा० लि० पता 7/12 लाल बाजार स्ट्रीट
मर्केन्टाइल बिल्डिंग ब्लाक "ए" तृतीय तल कोलकाता
(पश्चिम बंगाल)

सूरी ... 124

बिल्टी व ग्रोमैंट	सीरीज	उत्पाद	कोड	पृष्ठ
8,44,620/-	20000	100	20100	40

कार्यालय ...
... प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये — TEN RUPEES

रु. — Rs.10

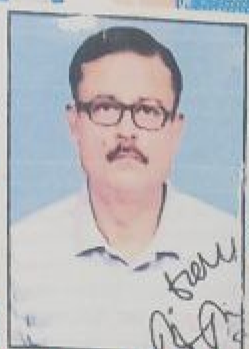

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AC 842525

उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा)। ....द्वितीय पक्ष

विदित हो कि मौजा बस्ती खास तप्पा हवेली व परगना बस्ती पूरब तहसील बस्ती जनपद बस्ती के आराजी संख्या 952/2 (नौ सौ बावन बटा दो) में अपने हक व हिस्से के प्रथम पक्ष मालिक व काबिज दखील हैं।

हम प्रथम पक्ष को उक्त आराजी में अपने स्वामित्व की भूमि को प्रत्येक प्रकार से उपयोग करने, व्यवस्थित करने, इकरारनामा आदि करने व हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हम प्रथम द्वारा अपनी सम्पत्ति का कोई हिब्बा जबानी या पंजीकृत या अपंजीकृत विलेख द्वारा किसी को नहीं किया गया है और न ही कोई मुआहिदाबय पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के हक में निष्पादित किया गया है और न रेहन, बंधक या किसी भी प्रकार के बकाया इत्यादि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, बैंक सरकारी विभाग या न्यायालय में जमानत में दिया गया है तथा विषयांकित सम्पत्ति किसी भी प्रकार के दावेदारी उजूरदारी आदि से प्राप्त नहीं है, हर तरह से पाक साफ है।

ज्ञात हो कि बिषयाकिंत आराजी की भूमि जो मिश्रित भू–प्रयोग की है, से वर्तमान में प्रथम पक्ष को कोई लाभ व विशेष करके जो वांछित लाभ प्राप्त होना चाहिये, प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम प्रथम पक्ष की यह इच्छा है कि बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर बहुमंजिला व्यवसायिक

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 842526

काम्प्लेक्स/मल्टीप्लेक्स का निर्माण करवा लें लेकिन हम प्रथम पक्ष, भवन निर्माण सम्बन्धी ज्ञान के अभाव व लगने वाले खर्च के अभाव में अपनी इच्छानुसार भवन निर्माण नही करवा पा रहे है। प्रथम पक्ष बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिला व्यवसायिक काम्प्लेक्स/मल्टीप्लेक्स का निर्माण करवाने के लिये काफी दिनो से ऐसे ब्यक्ति के तलाश में रहे जिसे भवन निर्माण करवाने का अनुभव हो और वो अपना स्वंय का धन लगाकर बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिला व्यवसायिक काम्प्लेक्स/मल्टीप्लेक्स का निर्माण करवा देवे व अपने द्वारा लगाये धन के बदलें में नवनिर्मित भवन में उचित हिस्सेदारी प्राप्त कर लेवे। प्रथम पक्ष इस खोज व प्रयास में रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जावे जो उचित शर्तो पर निर्माण कार्य करवाये व प्रथम पक्ष अपनी इच्छानुसार बिषयाकिंत आराजी की भूमि से वांछित लाभ प्राप्त कर सके। इस सिलसिले में हम प्रथम पक्ष ने कई लोगों से सम्पर्क कर वार्ता किया। इसी तलाश में द्वितीय पक्ष के बारे में पता चला जो इस प्रकार के बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण शहर गोरखपुर में सफलतापूर्वक करवा चुके हैं और निर्माण सम्बन्धी पूरा अनुभव रखते हैं।

अतः प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके अपनी इच्छा से द्वितीय पक्ष को अवगत कराया और आमन्त्रित किया कि द्वितीय पक्ष उचित शर्तो पर बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर बहुमंजिला व्यवसायिक

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 842527

काम्प्लेक्स/मल्टीप्लेक्स का निर्माण अपने स्वंय के धन से करवा देवे और उसके एवज में उचित हिस्सेदारी नवनिर्मित भवन में प्राप्त कर लेंवे। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किये और बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर भवन निर्माण करवाने को तैयार हो गये तथा दोनो पक्षों की आपसी सहमति (इस विलेख में आगे वर्णित शर्तो पर) से यह तय पाया गया कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाली बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर निसमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर बहुमंजिला व्यवसायिक काम्प्लेक्स/मल्टीप्लेक्स का निर्माण अपना धन लगाकर करवा देगें और लगाये गये धन के एवज में 49 प्रतिशत निर्माण के वह तनहा स्वामी हो जायेगें तथा शेष निर्मित 51 प्रतिशत निर्माण के मालिक़ प्रथम पक्ष होगे।

ज्ञात हो कि इस सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्ते तय पायी गयी जो पक्षकारों को स्वीकार है:–

1. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु यह अनुबन्ध विलेख (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
2. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिला व्यवसायिक काम्प्लेक्स/मल्टीप्लेक्स का निर्गाण हेतु मानचित्र द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से स्वीकृत करवाया जायेगा और मानचित्र

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 842528

स्वीकृत करवाने में लगने वाले धन के अलावा अन्य सहयोग आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष द्वारा दिया जायेगा।

3. यहकि मानचित्र स्वीकृत होने के चार वर्ष के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा भवन का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा।
4. यह कि भवन निर्माण के सम्बन्ध में किसी विधिक औपचारिकता को पूरी करनी की आवश्यकता आती है तो उसे द्वितीय पक्ष द्वारा पूरा किया जायेगा व भवन निर्माण में कोई कानूनी अड़चन आती है तो उसे समाप्त कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
5. यहकि निर्माण कार्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस दशा में भवन निर्माण की जो समयावधि सुनिश्चित की गयी है, वह स्वतः बढ़ जायेगी किन्तु ऐसी घटना जिसे टाला न जा सके, जैसे–बाढ़, भूकम्प, शासकीय नोटिस, सामान की अनुपलब्धता आदि के कारण भवन निर्माण में कोई कठिनाई आती है तो उस दशा में दोनों पक्ष आपस में मिल–बैठकर आपसी सहमति से भवन निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ा लेगें।
6. यहकि निर्माण कार्य को कराने के सम्बन्ध में सभी प्रकार के अन्य शासकीय अभिकरण से अनुमति/अनापत्ति इत्यादि जो भी जरूरी होगा, को पूरा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी और इस सम्बन्ध में लगने वाले सभी खर्चों को द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगें,

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AC 842529

अलबत्ता कि इस सिलसिले में धन के अतिरिक्त कोई ऐसा सहयोग जो प्रथम पक्ष से अपेक्षित होगा, को प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी बिलम्ब के मुहैया कराया जायेगा।

7. यह कि भवन निर्माण के समय निर्माण के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट द्वितीय पक्ष द्वारा दी जाती रहेगी।
8. यहकि बहुमंजिली भवन के निर्माण व उसकी गुणवत्ता की निगरानी व निरीक्षण करते रहने का अधिकार प्रथम पक्ष को भी रहेगा तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव देना चाहेगें तो द्वितीय पक्ष को दे सकते हैं, परन्तु निर्माण कार्य को रोकने या उसमें बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार प्रथम पक्ष को नहीं प्राप्त रहेगा।
9. यहकि प्रस्तावित भवन का पूर्ण निर्माण कार्य जिसमें कामन एरिया के बिजली, बायरिंग, कलरिंग व फ्लोरिंग आदि सम्मिलित है, द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जायेगा।
10. यहकि नवनिर्मित भवन में लिफ्ट, ट्रान्सफारमर, अग्निशमन हेतु आवश्यक यन्त्र व जनरेटर की ब्यवस्था आश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से करेंगे।
11. यहकि द्वितीय पक्ष भवन के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले मटेरियल साज–सज्जा की गुणयत्ता को विशेष रूप से ध्यान रखेगें

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AC 842530

तथा भवन के आन्तरिक कारपेट एरिया के साज–सज्जा से द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।

12. यहकि इस भवन के निर्माण हो जाने पर 51 प्रतिशत निर्माण के तनहा स्वामी प्रथम पक्ष होगें तथा द्वितीय पक्ष अपने द्वारा निर्माण में लगाये गये समस्त धन के एवज में नवनिर्मित भवन के 49 प्रतिशत हिस्से के तनहा मालिक हो जायेगें। प्रथम पक्ष के 51 प्रतिशत निर्माण के स्वामित्व व कब्जा से द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार नहीं रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने स्वयं उपयोग उपभोग करने व किराये पर उठाने का एकमात्र अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। इसी प्रकार जिस 49 प्रतिशत निर्माण के तनहा मालिक द्वितीय पक्ष होगें उस 49 प्रतिशत निर्माण के स्वामित्व व कब्जा से प्रथम पक्ष का कोई वास्ता सरोकार किसी भी प्रकार नही रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक प्रकाए से अन्तरित करने तथा स्वयं उपयोग व उपभोग करने व किराये पर उठाने का पूरा अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. यह कि नवनिर्मित भवन मे जो 51 प्रतिशत हिस्सा प्रथम पक्ष को प्राप्त होना है उसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है व द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले 49 प्रतिशत हिस्से को संलग्न मानचित्र में नीला रंग से दर्शाया गया है व साथ ही साथ पक्षकारों

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AC 842531

के मध्य यह भी तय पाया गया कि भविष्य में नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत होने के बाद यदि कोई परिवर्तन होता है व ऐसे परिवर्तन के फलस्वरुप आवश्यक हुआ तो दोनो पक्ष आपसी सहमति से संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये हिस्सों का नये सिरे से निर्धारण कर लेगे।

14. यह कि यदि भविष्य में ऐसी स्थिति आती है कि भवन का कुछ भाग संयुक्त रुप से दोनो पक्षो द्वारा किराये पर दिया जाता है तो उस दशा में ऐसे संयुक्त भाग के किराये में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का अंश बराबर–बराबर होगा।

15. यहकि इस विलेख के निष्पादन व पंजीकृत कराने में लगने वाले समस्त खर्चो को द्वितीय पक्ष वहन करेगें।

16. यहकि किन्हीं कारणों से इस विलेख में अंकित किन्हीं शर्तो के सम्बन्ध में कोई मतभेद पक्षकारों के बीच कभी पैदा हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए दोनों पक्षों द्वारा पंचाट नियुक्त करके मामले का निपटारा किया जायेगा व न्यायिक क्षेत्राधिकार बस्ती रहेगा।

17. यहकि भवन में निर्माण करायी गयी सीढ़ी, सेटबैंक, पैसेज, पार्किंग आदि कामन एरियाज का प्रयोग दोनों पक्षकारों एवं उनके अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किया जावेगा। किसी भी पक्षकार या उनके अन्तरिती या किरायेदार द्वारा ऐसे कामन उपयोग वाले हिस्से

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 842532

पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण या अवरोध पैदा नहीं किया जावेगा।

18. यहकि निर्माण कराये जाने वाले भवन में द्वितीय पक्ष द्वारा बोरिंग कराया जावेगा तथा बिजली, पानी नाली ड्रेनेज व ट्वायलेट, ग्रीनरी, की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

19. यह कि भवन में पार्किंग व विज्ञापन से प्राप्त आय से उभय पक्ष भवन का प्रचार प्रसार करेंगे व उक्त आय से भवन का अनुरक्षण भी किया जा सकता है।

20. यहकि प्रत्येक पक्ष अपने–अपने अंश का आयकर, गृहकर, सर्विस टैक्स, वैट आदि जो भी नियमों के अनुसार देय होगा, उसे स्वयं अदा करेगें।

21. यह कि भविष्य में भवन निर्माण मे यदि कोई ऐसी कमी पायी जाती है जो निर्माण सम्बन्धी है तो उसके लिये प्रथम पक्ष किसी भी दशा में जिम्मेदार नही होंगे।

22. यह कि दोनो पक्ष आपसी सहमति से निर्मित भवन का नाम तय कर लिया जायेगा।

23. यह कि निर्मित भवन में कामन पैसेज, सीढ़ी, पार्किंग, सेटबैंक इत्यादि स्थान जो पक्षकारों व उनके अन्तरियों के संयुक्त प्रयोग में रहेगी के सम्बन्ध में यह तय पाया गया कि ऐसे कामन उपयोग वाले स्थानों के

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्टों की संख्या
84,462,000.00			20,000.00	100	20,100.00	40

श्री कुंवर कामेश्वर सिंह Kameshwar Sinh

पुत्र श्री राजा लाल ओंकार सिंह

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी राज भवन बस्ती खास तप्पा हवेली

अस्थायी पता राज भवन बस्ती खास तप्पा हवेली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/10/2016 समय 4:27PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया। Kameshwar Sinh

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह
उपनिबन्धक
बस्ती सदर
7/10/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता Kameshwar Sinh

श्री कुंवर कामेश्वर सिंह
पुत्र श्री राजा लाल ओंकार सिंह
पेशा कृषि
निवासी राज भवन बस्ती खास तप्पा हवेली

क्रेता

सुपरलेटिव मा0प्रा0लि0 द्वारा निर्देशक पवन कुमार सिंघानिया
पुत्र श्री दिनेश सिंघानिया
पेशा व्यापार
निवासी पार्क रोड गोलघर गोरखपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान अख्तर हुसेन Akhter Husein
स्व0 महबूब हुसेन

पेशा व्यापार

निवासी सी0/159/39 मुहल्ला बख्तियार जिला गोरखपुर

व राघवेन्द्र प्रताप सिंह
शीतला प्रसाद सिंह

पेशा कृषि

निवासी काली कुंज बैरिहवा गांधीनगर बस्ती

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

प्रथम पक्ष पैन कार्ड द्वितीय पक्ष आधार कार्ड गवाहान आधार कार्ड

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह
उपनिबन्धक
बस्ती सदर
7/10/2016

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AC 842544

अनुरक्षण (मेन्टीनेन्स) हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी प्रतिनिधि/एजेन्सी द्वारा जो भी मेन्टीनेन्स चार्ज निर्धारित किया जायेगा या उसमें समय-समय पर बढोत्तरी की जावेगी, के अदा करने की जिम्मेदारी भवन के समस्त अध्यासियों या पक्षकारों द्वारा आवाद किरायेदारान द्वारा अदा किया जायेगा, ताकि इस बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स का मेन्टीनेन्स, सुचारू रूप से होता रहे।

24. यहकि निर्माण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के (मटेरियल लेबर या कान्ट्रेक्टर) के बकाया/भुगतान का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

25. यह कि भविष्य में FAR क्रय करने की स्थिति आती है तो आपसी सहमति से दोनो पक्ष निर्णय लेंगे व FAR क्रय करने में जो खर्च आयेगा उसे द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

26. यह कि नवनिर्मित भवन में दोनो पक्षों को मिलने वाली दुकानों को अलग अलग रंग से दर्शाते हुये नक्शा नजरी संलग्न कर कर दिया गया है व भविष्य में परिवर्तन होने की दशा में अनुपूरक विलेख तहरीर कर लेंगे।

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

(37)

विक्रेता

Registration No.: 6042 Year : 2016 Book No. : 1

0101 कुंवर कामेश्वर सिंह

राजा लाल ओंकार सिंह

राज भवन बस्ती खास तप्पा हवेली

कृषि

सब रजिस्ट्रार कार्यालय बस्ती
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 842534

27. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रुपया 1,50,00,000/– (एक करोड पचास लाख) बतौर सुरक्षा धन निम्न प्रकार से अदा किया गया:

क्रमांक	बैंक	चेक नं0	दिनांक	धनराशि
1	शाक्सित बैंक	862554	07/10/2016	5000000.00
2	शाक्सित बैंक	862552	07/10/2016	5000000.00
3	शाक्सित बैंक	862551	07/10/2016	5000000.00

26. यह कि सुरक्षा धन के रुप में प्राप्त उपरोक्त रुपया 50,00,000/– (पचास लाख) को प्रथम पक्ष अपने हिस्से की दुकानों के प्रथम बुकिंग के समय प्राप्त एडवांस की रकम में से बिना ब्याज के द्वितीय पक्ष को वापस कर देंगे व शेष रुपया 1,00,00,000/– (एक करोड़) को प्रथम विक्री/ निर्माण पूरा होने पर बिना ब्याज के द्वितीय पक्ष को वापस कर देंगे।

इस प्रकार इस विलेख को पक्षकारान अपने–अपने स्वेच्छा वो स्वस्थ बुद्धि से बिना किसी भी प्रकार के जोर व दबाव के तथा खूब सोच समझाकर व पढ़ व समझकर निष्पादित करते हुए साक्षियों के समक्ष अपना–अपना हस्ताक्षर बना व अंगूठा चिन्हों को लगा दिया है कि

Kameshwar Singh

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

(27)

ज3/10/16 शामिल न० 12 मई 16

क्रेता

सुनील उपाध्याय
स्टाम्प वेण्डर लाइ० न० 124
कचेहरी ..., बस्ती

Registration No. : 6042 Year : 2,016 Book No. : 1

0201 सुपरलेटिव मा0प्रा0लि0 द्वारा निर्देशक पवन कुमार सिंघानिया

दिनेश सिंघानिया

पार्क रोड गोलघर गोरखपुर

व्यापार

कार्यालय ...

उत्तर प्रदेश

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 77AC 842535

समय पर काम आवे व प्रमाण रहे जो दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों के पर भी प्रभावी व बाध्यकारी होगा।

तफसील भूमि अन्तर्गत बस्ती खास, तप्पा हवेली व परगना बस्ती पूरब तहसील बस्ती, जिला बस्ती के आराजी नम्बर 952/2 (नौ सौ बावन बटा दो) रकबा 4022 वर्ग मीटर (चार हजार बाइस वर्गमीटर), रोड बाइन्डिंग हेतु एरिया छोड़कर, प्रथम पक्ष के सम्पूर्ण हक व हिस्से पर होने वाले निर्माण के लिये, यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया।

चौहद्दी–

पूरब– मेन रोड।

पश्चिम– मकान व जमीन श्रीमती मंजू शुक्ला पत्नी श्री विश्वनाथ शुक्ला।

उत्तर– सम्पत्ति रानी लक्ष्मी काम्पलेक्स (मार्केट)।

दक्षिण– रास्ता 20 फीट चौड़ा।.

Kameshwar Singh

13/10/16 शामिल हो (28) 12 में हुए

गवाह

Registration No.: 6042 Year : 2016 Book No. : 1

W1 अख्तर हुसेन

स्व0 महबूब हुसेन

सी0/159/39 मुहल्ला बख्तियार जिला गोरखपुर

व्यापार

W2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह

शीतला प्रसाद सिंह

काली कुज बैरिहवा गांधीनगर बस्ती

कृषि

कार्यालय बस्ती जिला–बस्ती

उत्तर प्रदेश

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AC 842536

Kameshwar Sinh

साक्षी Akhtar Husain S/o Late MAHBOOB HUSAIN
HNo C/159/39 MOHALLA BAKHTIAR .P.O. SADAR
GORAKHPUR

साक्षी राधेश्याम प्रताप सिंह S/o श्री शीतला प्रसाद सिंह
काली कुंज वैदिक गाड़ी नगर बस्ती बस्ती

प्रारुपक व तैयारीकर्ता

अच्युतानन्द शुक्ल

एडवोकेट

07 / 10 / .2016

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner

आज दिनांक 07/10/2016 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 7082

पृष्ठ सं. 1 से 40 पर क्रमांक 6042

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सिंह

उपनिबन्धक

बस्ती सदर

7/10/2016

6042

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP02480330593905O
Certificate Issued Date	:	07-Oct-2016 04:21 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upabdbk02/ BASTI/ UP-BST
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPABDBK02029741320886480
Purchased by	:	SUPERLATIVE MARKETING PVT LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	GATA NO 952/2 RAKBA 4022SQMT MAUZA BASTI KHAS TAPPA HAVELI TEHSIL AND DISTRICT BASTI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KUWAR KAMESHWAR SINGH
Second Party	:	SUPERLATIVE MARKETING PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	SUPERLATIVE MARKETING PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	59,12,500 (Fifty Nine Lakh Twelve Thousand Five Hundred only)

---Please write or type below this line---

Kameshwar Singh

XM 0001478011

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

Scanned by CamScanner